THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI B. SEANKARANAND): (a) and (b) The utilisation of gas from the Krishna-Godavari basin has already begun. Gas estimated to be available has been allotted.

Yatri Niwas in Maharashtra

1008. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state the number of Yatri Niwas set up in Maharashtra and the names of places in the State where Yatri Niwas are proposed to be provided?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAV RAO SCINDIA): Construction of a Yatri Niwas at Shegaon has been sanctioned and approval for construction of a Yatri Niwas at Lattur has been given subject to completion of codal formalities by the State Government.

राज्यों के विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन

1009. **श्री अजीत जोगी :** क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1991 में नई दिल्ली में राज्यों के विद्युत मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था और सम्मेलन में क्या सुझाव दिए गये थे; और

(ग) इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने पर विचार किया जा रहा है?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। 19 फरवरी, 1991 को तत्कालीन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मुख्य मंत्रियों और विद्युत मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें विद्युत विकास में राज्य बिजली बोर्डों की भूमिका और उनके कार्यनिष्पादन एवं वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार किए जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया था।

उक्त सम्मेलन में दिए गये सुझाव मुख्य रूप से राज्य बिजली बोर्डों द्वारा वाणिज्यिक प्रणाली के आधार पर कार्य किए जाने से सम्बन्धित थे ताकि उनके द्वारा निवल अचल परिसम्पत्तियों पर 3% की सांविधिक लाभांश दर अर्जित किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इस लाभांश दर को प्राप्त किए जाने के सन्दर्भ में निम्नलिखित सुझाव दिये गये थे –

- राज्य बिजली बोर्डों के पूंजीगत आधार में वृद्धि की जानी चाहिये ताकि (1) का ऋण 1 इक्विटी अनुपात प्राप्त किया जा सके;
- टैरिफ के माध्यम से विद्युत उत्पादन की लागत की पूर्ण रूप से पूर्ति की जानी चाहिये;
- राज्य सरकारों द्वारा ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी आर्थिक सहायता का भुगतान नियमित आधार पर किया जाना चाहिये और
- राज्य बिजली बोर्डों द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई, इसकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर किए जाने की अपेक्षा की स्थिति में उनकी उपयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति की जानी चाहिये।

(ग) राज्य बिजली बोर्ड, राज्य सरकारों के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन हैं और उपर्युक्त मामलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कार्यवाही